


- (7) स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट (SPMU) हेतु आफीस स्पेस, मेनपावर एवं उसके संचालन हेतु अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनके कार्यों की समीक्षा करना।
- (8) सभी संबंधित कार्यालयों को पर हार्डवेयर,इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।
- (9) DBT में योजनाओं को सम्मिलित करना ।
- (10) EAT के उपयोग पर निर्णय ।
- (11) राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर अन्य आवंटित कार्य।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(अनिरुद्ध मुकुर्मी)
सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग

भोपाल,दिनांक 02/09/2016

पृ.कमांक एफ.1 (ए)4/2016/ई/आर
प्रतिलिपि,

1. वित्त सचिव,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,नई दिल्ली की ओर उनके पत्र कमांक D.O.NoC-13015(460)/MFCGA/PFMS/2016-17/1162 dt.24-06-2016 के संदर्भ में ।
 2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,म.प्र.शासन।
 3. शासन के समस्त विभाग ।
 4. समस्त विभागाध्यक्ष ।
- की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


अवर सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग